

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 09/2025 शस्त्र अधिनियम
GCMS No. 2025/115

मुरलीधर पुत्र श्री गणेशाराम जाति प्रजापत निवासी वार्ड संख्या 26, पोदारों के
कुएं के पास, रतनगढ़, जिला चूरु।

----- अपीलान्त

---बनाम---

राजस्थान राज्य।

----- रेस्पोडेन्ट


उपस्थित:- श्री राजेन्द्र सिंह शिमला अभिभाषक अपीलांत
श्री गजेन्द्र सिंह अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष
की ओर से।



निर्णय

दिनांक: 13.11.2025

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 06.03.2018, जिसके द्वारा अपीलांत के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट चूरु के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 पारित करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 से व्यथित होकर अपीलांत ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी।


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अभिभाषक अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील को मियाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट की अपील को मियाद में शुमार किया जाता है।
5. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सबूतों पर गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने आवेदन किया कि अपीलांट व्यवसायी है, जिसका मुख्य व्यवसाय स्टोन क्रैशर का है जो पहाड़ी पर स्थित है, जहां नकद लेन देन होता है, जिसके कारण आये दिन लूट, डकैती, चोरी आदि होने की संभावना रहती है तथा जंगली जानवरों से भी भय व्याप्त रहता है। अपीलांट ने अपनी आत्म सुरक्षा के आधार पर अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन किया था, जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक चूरु व उप वन संरक्षक वन विभाग चूरु से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करवायी गयी। उक्त जांच प्रार्थी अपीलांट के अनुकूल व शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंसा के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज किया कि "प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज शामिल नहीं हैं जिससे यह ज्ञात होता हो कि आवेदक के जीवन को खतरा है। ऐसी स्थिति में आपका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है।" जबकि प्रार्थी अपने आवेदन में स्पष्ट अंकित किया है कि उसे अपने व्यापार को दृष्टिगत रखते हुए अपनी आत्मसुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 निरस्त किया जावे।
6. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 पारित करते हुए अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे



संयोजित आयुक्त
जायपुर

स्पष्ट हो कि आवेदक के जीवन को खतरा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश उचित एवं सही हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांत तथा राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चूरू ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 पारित करते हुए अपीलांत के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को आवेदक के जीवन को खतरे से संबंधित कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के आधार पर निरस्त कर दिया। अभिभाषक अपीलांत ने हमारे समक्ष भी अन्य कोई साक्ष्य व सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर विचार किया जा सके। अतः न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि व्यापक लोक शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चूरू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांत इसी स्तर पर खारिज की जाती है।
8. तदानुसार अपील अपीलान्त निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर